



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19790 वर्ष 2025

डॉ. अलका राय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: उदय शंकर चौहान

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री यू.एस. चौहान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2026 को निर्देश तलब किए गए थे।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के हस्ताक्षर से दिनांक 02.02.2026 को निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।
4. श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने बार में यह कथन किया कि वे निर्देशों से पूर्णतः अवगत हैं तथा वाद पर बहस करने की स्थिति में हैं और वे कोई प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत करना प्रस्तावित नहीं करते हैं, अतः रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखों के आधार पर ही किया जाए। पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
5. याचिकाकर्ता का कथन है कि दिनांक 12.12.2024 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह सभी प्रकार से पूर्णतः अर्ह एवं योग्य होने के कारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

उक्त विज्ञापन के अनुपालन में आवेदन किया, तथापि दिनांक 26/27/29/30.12.2025 को निर्धारित साक्षात्कार के लिए उसे आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई।

6. रिट याचिका को दिनांक 14.01.2026 को स्वीकार किया गया, जिसके अनुपालन में निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सभी दृष्टियों से अर्ह एवं योग्य है, क्योंकि उसने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्नातक (बी.ए.एम.एस.) की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही दिनांक 17.02.2024 का इंटरनशिप पूर्णता प्रमाणपत्र, मंडलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ द्वारा निर्गत दिनांक 13.02.2024 का इंटरनशिप प्रमाणपत्र (अवधि 16.05.2023 से 11.02.2024) तथा अथर्व नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा निर्गत दिनांक 18.11.2024 का अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित करना विधिसम्मत नहीं है।

8. इसके विपरीत, श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 02.02.2026 के निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास राज्य आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय में छह माह का आवश्यक अनुभव नहीं है तथा जिन प्रमाणपत्रों पर याचिकाकर्ता द्वारा निर्भर किया गया है वे केवल इंटरनशिप पूर्णता प्रमाणपत्र हैं, वह भी निजी संस्थान से निर्गत, अतः याचिकाकर्ता को विधिपूर्वक अयोग्य घोषित किया गया।

9. बार में प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

10. स्पष्टतः, विज्ञापन के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता निम्नवत् है:-

11. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि। (ii) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद में वैद्य के रूप में पंजीकरण।

12. आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हेतु अनुभव :-

राज्य आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय में न्यूनतम छह माह का अस्थायी अनुभव।

13. महत्वपूर्ण यह है कि याचिकाकर्ता के अनुसार उसने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से बी.ए.एम.एस. की उपाधि प्राप्त की है, रोल संख्या 18390000220, जिसकी प्रति अभिलेख के पृष्ठ 24 पर संलग्न है, जिसमें उल्लेख है:-

“यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अलका राय, श्री/श्रीमती शर्मा राय की पुत्री, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बिजारवा, बनिकट, आजमगढ़ की छात्रा, को वर्ष 2022 के जुलाई माह में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा तत्पश्चात फरवरी, 2024 में एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटरनशिप पूर्ण करने के उपरांत बी.ए.एम.एस. की उपाधि प्रदान की जाती है।”

14. अभिलेख के पृष्ठ 25 पर इंटरनशिप पूर्णता प्रमाणपत्र का उल्लेख है, जो इस प्रकार है:-

“यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री अलका राय, श्री शर्मा राय की पुत्री, इस संस्थान की बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम (सत्र 2016-17) की छात्रा रही हैं तथा इन्होंने जुलाई, 2022 में अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की एवं 12 माह की अनिवार्य रोटेटरी इंटरनशिप पूर्ण की।

(क) प्रारंभ तिथि : 13.10.2022(ख) समाप्ति तिथि : 13.04.2023”

एस.एन.	विभाग	तिथि		छः माह का कार्यक्रम
		से	तक	
(i)	काय चिकित्सा	13.10.2022	12.12.2022	दो माह
(ii)	शल्य तंत्र	13.12.2022	12.01.2023	एक माह
(iii)	शालाक्य तंत्र	13.01.2023	12.02.2023	एक माह
(iv)	स्त्री प्रसूति तंत्र	13.02.2023	14.03.2023	एक माह
(v)	कौमारभृत्य	15.03.2023	29.03.2023	पंद्रह दिन
(vi)	पंचकर्म	30.03.2023	13.04.2023	पंद्रह दिन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

15. पत्रावली के पृष्ठ 26 पर मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न है, जो निम्नानुसार अभिलिखित है:-

"प्रमाणित किया जाता है कि अल्का राय, पुत्री शर्मा राय ने शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जनपद आजमगढ़ (उ०प्र०) तथा मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ (उ०प्र०) से विभिन्न विभागों में अनिवार्य इंटरनशिप दिनांक 16.05.2023 से 11.02.2024 तक छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया।"

क्र.सं.	विभाग	अवधि	प्रारंभ तिथि	समाप्ति तिथि
1	कार्डियोलॉजी / मेडिसिन	01 माह	16.05.2023	15.06.2023
02	लोकोमोटर / आर्थोपेडिक्स	15 दिन	16.06.2023	30.06.2023
03	इमरजेंसी	15 दिन	01.07.2023	15.07.2023
04	सर्जरी	16 दिन	15.07.2023	31.07.2023
05	ई.एन.टी.	07 दिन	01.08.2023	07.08.2023
06	ऑफ्थैल्मोलॉजी	07 दिन	08.08.2023	15.08.2023
07	स्त्री एवं प्रसूति रोग / बाल रोग	02 माह	20.09.2023	27.12.2023
08	सामुदायिक चिकित्सा	- 01 माह	10.01.2024	11.02.2024

"उक्त अल्का राय, पुत्री शर्मा राय, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जनपद आजमगढ़ (उ०प्र०) उक्त अवधि में चिकित्सालय में उपस्थित थीं। इनका कार्य एवं आचरण उत्तम रहा।"

16. पत्रावली के पृष्ठ 27 पर अथर्व नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दिनांक 08.11.2024 का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

"प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अल्का राय, पुत्री श्री शर्मा राय, ग्राम बरहतीर जगदीशपुर, पोस्ट जहानागंज, जनपद आजमगढ़ की निवासी हैं, जो अथर्व हॉस्पिटल, मेंहनगर, आजमगढ़ में आयुष चिकित्सक के पद पर नियमित रूप से दिनांक 01.03.2024 से 30.10.2024 तक कुल 08 माह तक कार्यरत रहीं। चिकित्सीय सेवाएं अस्पताल में संतोषजनक रही हैं।"

17. बी.ए.एम.एस. प्रमाणपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रमाणपत्र दिनांक 07.10.2024 को निर्गत किया गया तथा उक्त उपाधि हेतु परीक्षा जुलाई, 2022 में आयोजित हुई थी और तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने फरवरी, 2024 में एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटरनशिप पूर्ण की। दिनांक 17.02.2024 का इंटरनशिप पूर्णता प्रमाणपत्र स्वयं यह प्रदर्शित करता है कि यह अवधि 13.10.2022 से 13.04.2023 तक की है तथा मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ का इंटरनशिप प्रमाणपत्र 16.05.2023 से 11.02.2024 की अवधि का है। इसके अतिरिक्त अथर्व नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का अनुभव प्रमाणपत्र 01.03.2024 से 03.10.2024 तक कुल आठ माह की अवधि का है। विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास राज्य आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय का न्यूनतम छह माह का अनुभव प्रमाणपत्र होना आवश्यक था। इंटरनशिप एवं अनुभव में स्पष्ट भेद है। विशेष रूप से, बी.ए.एम.एस. प्रमाणपत्र से यह स्पष्ट है कि इंटरनशिप अवधि जुलाई, 2022 से फरवरी, 2024 तक रही तथा याचिकाकर्ता द्वारा अवलंबित दिनांक 17.02.2024 का शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का प्रमाणपत्र 13.10.2022 से 13.04.2023 की इंटरनशिप अवधि का है और मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ का प्रमाणपत्र 16.05.2023 से 11.02.2024 की इंटरनशिप अवधि का है। उक्त सभी प्रमाणपत्र इंटरनशिप से संबंधित हैं, जो उपाधि प्रदान किए जाने के उपरांत की अनिवार्य शर्त है।

18. इस संदर्भ में, अनुभव का एकमात्र दस्तावेज अभिलेख के पृष्ठ 27 पर उपलब्ध अथर्व नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दिनांक 08.11.2024 का प्रमाणपत्र है, जो एक निजी संस्थान का है। जबकि अपेक्षित अनुभव राज्य आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय का होना चाहिए। चूंकि अनुभव निजी चिकित्सालय/औषधालय से संबंधित है तथा उक्त अर्हता, जिसमें सरकारी चिकित्सालय/औषधालय से अनुभव अपेक्षित है, को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

चुनौती नहीं दी गई है, अतः इस न्यायालय को इस विषय पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

19. परिणामतः, न्यायालय के मतानुसार, प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता को अयोग्यता के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित न किए जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः हस्तक्षेप से इंकार किया जाता है तथा रिट याचिका **निरस्त** की जाती है।

20. निर्देशों की प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रदान की जाए।

21. आज प्रस्तुत निर्देश अभिलेख पर ग्रहण किए जाते हैं तथा उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

दिनांक : 18 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”